

“रिजिस्ट्रेशन पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के
मन्द भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़
गउट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक
30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/पुर्न/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 549]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2015— अग्रहायण 17, शक 1937

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-7/2015/16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 एवं 234 सहपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये और AIR 1998 SC 1233 में महाराष्ट्र सरकार वि. श्रम विधि व्यवसायी संघ और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए, श्रम न्यायिक सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु, इस संबंध में प्रवृत्त विद्यमान नियमों को अतिरिक्त करते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय एवं राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - (1) ये नियम “छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2015” कहलायेंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
(3) ये नियम छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे।
- परिभाषाएं :- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
(क) “न्यायिक सेवा” से अभिप्रेत है समय-समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006;
(ख) “श्रम न्यायाधीश” से अभिप्रेत है श्रम न्यायालय का श्रम न्यायाधीश;
(ग) “सदस्य न्यायाधीश” से अभिप्रेत है औद्योगिक न्यायालय का सदस्य न्यायाधीश;
(घ) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष;
(ङ) “सेवा” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक सेवा।
(2) शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो समय-समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 तथा छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के अन्तर्गत परिभाषित हैं।

अध्याय-1

3. सेवा का गठन.— श्रम न्यायिक सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे;

(1) अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय,—

(क) सेवा के सदस्य, जो इन नियमों के प्रारंभ के समय औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष के पद को मूल या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(ख) सेवा के सदस्य, जो नियम 6 के उप-नियम (3) के अनुसार अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किये गये हों।

(2) सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय,—

(क) सेवा के सदस्य, जो इन नियमों के प्रारंभ के समय औद्योगिक न्यायालय के सदस्य न्यायाधीश के पद को मूल या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में नियुक्त या पदोन्नत किये गये हों।

(3) श्रम न्यायाधीश, श्रम न्यायालय,—

(क) सेवा के सदस्य, जो इन नियमों के प्रारंभ के समय श्रम न्यायालय के श्रम न्यायाधीश के पद को मूल या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार पद में नियुक्त किये गये हों।

4. सेवा की संख्या बल.— सेवा की संख्या बल, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायेगी।

5. संवर्ग के पद.— (1) सदस्य न्यायाधीश का पद, उच्चतर न्यायिक सेवा के संवर्ग का पद होगा।

(2) श्रम न्यायाधीश का पद, निम्नतर न्यायिक सेवा के संवर्ग का पद होगा।

अध्याय-2

नियुक्ति की रीति, वरिष्ठता, अधिवार्षिकीय आयु, पदस्थापना और श्रम न्यायिक सेवा के सदस्य का स्थानांतरण

6. (1) श्रम न्यायाधीश की नियुक्ति की रीति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, श्रम न्यायाधीश के पद पर समस्त नियुक्तियां, निम्नतर न्यायिक सेवा के कोई सदस्य, जो छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 8 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) में उल्लिखित मापदण्ड को पूरा करता हो, के स्थानांतरण द्वारा की जायेंगी।
- (2) सदस्य न्यायाधीश की नियुक्ति की रीति.— सदस्य न्यायाधीश के पद पर समस्त नियुक्तियां निम्नानुसार की जायेगी—
- (क) उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य, जो छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 की उप-धारा (2-क) के खण्ड (ग) में उल्लिखित मापदण्ड को पूरा करता हो, के स्थानांतरण द्वारा;
- (ख) वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर, उच्च न्यायालय द्वारा, श्रम न्यायालय के श्रम न्यायाधीश के विद्यमान संवर्ग से पदोन्नति द्वारा।
- (3) अध्यक्ष की नियुक्ति की रीति.— अध्यक्ष की नियुक्ति, शासन द्वारा उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के धारा 9 की उप-धारा (2) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अनुसार की जायेंगी।
7. वरिष्ठता.— मूल या स्थानापन्न रूप में पद धारण करने वाले श्रम न्यायिक सेवा के विद्यमान सदस्यों की वरिष्ठता, जैसा कि इन नियमों के प्रारंभ होने के समय विद्यमान पद के संबंध में हो, बनी रहेगी।
8. अधिवार्षिकी आयु.— श्रम न्यायालय के विद्यमान श्रम न्यायाधीश एवं औद्योगिक न्यायालय के सदस्य न्यायाधीश, ऐसी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जायेंगे, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाये।
9. पदस्थापना तथा स्थानांतरण.— सदस्य न्यायाधीश एवं श्रम न्यायाधीश की सभी पदस्थापनाएं तथा स्थानांतरण, उच्च न्यायालय द्वारा की जायेंगी।

अध्याय-3

श्रम न्यायालय के विद्यमान श्रम न्यायाधीशों, औद्योगिक न्यायालय के सदस्य न्यायाधीश एवं औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष के वेतन, भत्ते, सुविधायें एवं अन्य शर्तें,

10. (1) श्रम न्यायालय के विद्यमान श्रम न्यायाधीश एवं औद्योगिक न्यायालय के सदस्य न्यायाधीश, ऐसे वेतनमान, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के लिये पात्र होंगे जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, वे प्राप्त कर रहे हों तथा उनके वेतन, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये वेतनमान संबंधी नियमों के अनुसार नियत किये जायेंगे।
 (2) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सदस्य न्यायाधीश एवं श्रम न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये गये व्यक्ति की सेवा शर्तों, समय-समय पर यथासंशोधित छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 2006 तथा छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 2006 द्वारा शासित होंगे।
 (3) औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष, वेतन से पेंशन घटाकर, ऐसे वेतन एवं अन्य सुविधाओं के लिये पात्र होगा जैसा कि उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशों को लागू है।
11. वार्षिक गोपनीय पंजिका.— श्रम न्यायालय सेवा के सदस्य की गोपनीय पंजिका, "छत्तीसगढ़ न्यायिक अधिकारी (गोपनीय रोल) विनियमन, 2015" के अनुसार अभिलिखित एवं संधारित की जायेगी।
12. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उदभूत हों तो उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।
13. संशोधन.— राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, इन नियमों में अग्रतर संशोधन, जैसा कि वह आवश्यक समझे, कर सकेगी।
14. शिथिलीकरण की शक्ति.— जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में या वर्ग में अनुचित कठिनाई होती है तो लिखित में कारणों को अभिलिखित कर, ऐसी सीमा तक तथा ऐसे अपवादों एवं शर्तों के अधधीन रहते हुए, जैसा कि वह आवश्यक समझे, उस विशिष्ट नियम से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा या उसे शिथिल कर सकेगा।
15. निरसन एवं व्यावृत्ति.— इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियमों, आदेशों, संकल्पों, यदि कोई हो, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के

अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्वारा, यथास्थिति, निरसित या विखण्डित, किये जाते हैं:

परंतु यह कि ऐसे निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी:

परंतु यह और कि औद्योगिक न्यायालय के विद्यमान श्रम न्यायाधीश एवं सदस्य न्यायाधीश, भर्ती, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतनमान, अनुशासनात्मक विषयों एवं अर्धवार्षिकी के संबंध में विद्यमान नियमों के प्रावधानों द्वारा, शासित होंगे:

परंतु यह और भी कि औद्योगिक न्यायालय के विद्यमान सदस्य न्यायाधीश की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र से उद्भूत, औद्योगिक न्यायालय के सदस्य न्यायाधीश की पद रिक्ति पर, उच्च न्यायालय द्वारा श्रम न्यायाधीशों को पदोन्नति के लिये विचार किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेसस, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 8th December 2015

NOTIFICATION

No. F 1-7/2015/16. — In exercise of the powers conferred by Articles 233 and 234 read with proviso to Article 309 of the Constitution of India and in the light of dictum of the Hon'ble Supreme Court in the matter of State of Maharashtra Vs Labour Law Practitioners Association and others reported in AIR 1998 SC 1233, to regulate the Recruitment and Service Conditions of the Member of the Labour Judicial Service, in supersession of the existing rules in force, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court and the State Public Service Commission, hereby makes the following rules, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called "Chhattisgarh Labour Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2015".
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the official gazette.
 - (3) It shall apply to the members of the Chhattisgarh Labour Judicial Service.
2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Judicial Service" means the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 and Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 as amended from time to time;

- (b) "Labour Judge" means Labour Judge of Labour Court;
- (c) "Member Judge" means Member Judge of Industrial Court;
- (d) "President" means President of Industrial Court;
- (e) "Service" means the Chhattisgarh Labour Judicial Service.
- (2) All other words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as defined under the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 and Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 as amended from time to time.

CHAPTER-1

3. Constitution of service.- (1) The Labour Judicial Service shall consist of following persons:-

(1) President, Industrial Court:

(a) Member of service holding post in substantive or officiating capacity the post of President of Industrial Court at the time of commencement of these Rules;

(b) Member of Service appointed to the post of President in accordance with sub-rule (3) of Rule 6.

(2) Member Judge, Industrial Court:

(a) Member of service holding post in substantive or officiating capacity, the post of Member Judge of the Industrial Court at the time of commencement of these Rules;

(b) Person appointed or promoted to the service in accordance with provisions of

these Rules.

(3) Labour Judge, Labour Court:

(a) Member of service holding post in substantive or officiating capacity, the post of Labour Judge of the Labour Court at the time of commencement of these Rules;

(b) Person appointed to the post in accordance with the provisions of these Rules.

4. **Strength of service.**- The strength of service shall be determined by the Governor from time to time in consultation with the High Court.

5. **Cadre Post.**- (1) The post of Member Judge shall be the Cadre Post of Higher Judicial Services.

(2) The post of Labour Judge shall be the Cadre Post of Lower Judicial Services.

CHAPTER-2

Method of Appointment, Seniority, Superannuation Age, Posting and Transfer of the Member of Labour Judicial Service

6. (1) **Method of Appointment of Labour Judge.**- All appointments to the post of Labour Judge, after the commencement of these rules, shall be made by transfer of a member of Lower Judicial Service, who fulfills the criteria mentioned in Clause (a) of Sub-section (3) of Section 8 of Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960.

(2) **Method of Appointment of Member Judge.**- All appointments to the post of Member Judge shall be made-

(a) by transfer of Member of Higher Judicial Service, who fulfills the criteria mentioned in Clause (c) of Sub-section (2-a) of Section 9 of Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960;

- (b) by promotion from existing cadre of Labour Judge of Labour Court on the basis of merit-cum-seniority, by the High Court.
- (3) **Method of Appointment of President.**- President shall be appointed by the Government on the recommendation of *the* High Court in accordance with Clause (a), (b) or (c) of sub-section (2) of section 9 of Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960.
7. **Seniority.**- (1) The relative seniority of the existing members of Labour Judicial Service holding substantive or officiating posts shall continue to be *the* same as it existed at the time of commencement of these rules.
8. **Age of Superannuation.**- The existing Labour Judge of Labour Court and Member Judge of Industrial Court shall superannuate on attaining the age, as prescribed by the Government, from time to time.
9. **Posting and Transfer.**- All the postings and transfers of the Member Judge and Labour Judge, shall be made by the High Court.

CHAPTER-3

Pay, Allowances, Facilities and other conditions of existing Labour Judges of Labour Court, Member Judge of Industrial Court and President of Industrial Court

10. (1). The existing Labour Judge of Labour Court and Member Judge of Industrial Court shall be entitled to the pay scale, allowances and other facilities as they are availing at the time of commencement of these rules and *their pay* shall be fixed as per the rules of pay *made* by the State Government from time to time.
- (2). Service conditions of the person appointed to the post of Member Judge and

Labour Judge, after commencement of these Rules, shall be governed by the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 and Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, as amended from time to time.

(3). President of the Industrial Court shall be entitled to salary and perks as applicable to the serving judge of the High Court on the basis of pay minus pension.

11. **Annual Confidential Rolls.**- Confidential roll of the *member of* Labour Judicial Service shall be recorded and maintained as per "Chhattisgarh Judicial Officer (Confidential Rolls) regulations, 2015".

12. **Interpretation.**- If any question arises as to the interpretation of these rules, the decision of the High Court shall be final.

13. **Amendment.**- The State Government, in consultation with the High Court, may make further amendment in these rules, as may be deemed necessary.

14. **Power to Relax.**- Where the High Court is satisfied that the operation of any of these rules is causing undue hardship in any particular case or class, it may, for reasons to be recorded in writing, dispense with or relax the particular rule to such extent and subject to such exceptions and conditions as may be deemed necessary:

Provided that, as and when, any such relaxation is granted by the High Court, the Governor shall be informed of the same.

15. **Repeal and Saving.**- All *the* rules corresponding to these rules, orders, resolutions, if any, in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed or rescinded, as the case may be, in respect of *the* matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules:

Provided further that the existing Labour Judges and Member Judge of Industrial Court shall be governed by the provisions of the existing rules with respect to the recruitment, seniority, promotion, pay scale, disciplinary matters and superannuation:

Provided also that the existing Labour Judges shall be considered for their promotion to the *vacancy* of Member Judge of Industrial Court arising *upon death, retirement, resignation of existing Member Judge of the Industrial Court*, by the High Court.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
YACUB XESS, Deputy Secretary.

